UPBG050007042022

Misc. Civil Cases/161/2022

INDRAPAL Vs. VIMLESH AND OTHER

न्यायालयः सिविल जज (सी०डि०), बागपत।

जे०ओ० कोड यू०पी० 2095

इन्द्रपाल बनाम श्रीमती विमलेश आदि,

दिनांकः16.08.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थीगण देवीलाल आदि की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 21ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद के प्रार्थी इन्द्रपाल की दिनांक 06.03.2023 को मृत्यु हो गयी है। प्रार्थीगण मृतक के विधिक वारिसान हैं। प्रार्थीगण के पति/पति की मृत्यु होने के कारण प्रार्थीगण काफी अवसाद में आ गये थे, जिस कारण उपरोक्त मृतक इन्द्रपाल की मृत्यु की सूचना पत्रावली पर नही दे पाये, क्योंकि प्रार्थीगण ग्रामीण व्यक्ति हैं तथा कानून की सही प्रकार से जानकारी नही है, जिस कारण समय के अन्दर उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र कायमी वारिसान प्रस्तुत नही कर पाये। प्रार्थीगण की माता जो अपने पति की मृत्यु से काफी अवसाद में आ गयी, प्रार्थीगण उनकी देखरेख में रहे। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से जानकारी होने पर उक्त कायमी वारिसान प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थनापत्र में कथित आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कायमी वारिसान प्रार्थनापत्र को समय के अन्दर मानते हुए स्वीकार किया जाये।

विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 23क योजित करने में हुई देरी को क्षमा कराने के परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थनापत्र 21ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में उल्लिखित किये गये हैं। प्रार्थीगण/प्रस्तावित वारिसान जरिये वकालतनामा 25ग पत्रावली पर उपस्थित हैं। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, तो उसकी पूर्ति हर्जे द्वारा संभव है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 21ग न्यायहित में, किन्तु हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 21ग हर्जा मुबलिग 500/-रूपये पर स्वीकृत किया जाता है। हर्जा की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत में जमा की जाये। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 23क लंच बाद पेश हो।

(रत्नम् श्रीवास्तव)
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

दिनांक-16.08.2024

लंच बादः-

पत्रावली लंच बाद आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली प्रार्थनापत्र 23क के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थीगण देवी लाल आदि की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 23क अन्तर्गत आदेश-32 नियम 3 व आदेश-6 नियम-17 एवं धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी इन्द्रपाल द्वारा उपरोक्त विविध वाद न्यायालय में योजित किया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन चला आता है। उपरोक्त वाद के प्रार्थी इन्द्रपाल पुत्र श्रीचन्द की दौरान वाद दिनांक 06.03.2023 को मृत्यु हो गयी है। मृतक इन्द्रपाल द्वारा अपनी मृत्यु के पश्चात अपने वारिसान के रूप में अपनी पत्नी श्रीमती कमला देवी व पुत्रगण देवीलाल व चांदवीर को छोड़ा गया है, इनके अलावा अन्य मृतक का कोई विधिक वारिसान नही है। जिस कारण मृत्यु इन्द्रपाल के स्थान पर उसके वारिसान को उक्त वाद में प्रतिस्थापित किये जाने की अनमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि उक्त विविध वाद में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाये।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थी इन्द्रपाल की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान के रूप में उसकी पत्नी श्रीमती कमला देवी व पुत्रगण देवीलाल व चांदवीर को उपरोक्त वाद में प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। प्रार्थीगण/प्रस्तावित वारिसान जरिये वकालतनामा 25ग पत्रावली पर उपस्थित हैं। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र कायमी वारिसान देरी से दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 23क न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 23क स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण आवश्यक संशोधन नियत तिथि तक करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07.09.2024 को पेश हो।

(रत्नम् श्रीवास्तव)
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।